

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—00—

क्रमांक : 1734/2025/वित्त/चार;
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.05.2025

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :- पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण संबंधी नियम।

संदर्भ :- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 132/ब-1/चार/वित्त/2001, दिनांक 30.01.2001;
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 391/ब-1/चार/वित्त/2002, दिनांक 18.03.2002 (वित्त निर्देश 15/2002);
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 159/2007/ब-1/चार, दिनांक 22.03.2007 (वित्त निर्देश 08/2007);

—00—

उपर्युक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इसके फलस्वरूप विनियोग लेखा की तैयारी बाधित होती है। अतः राज्य शासन द्वारा पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए समेकित निर्देश जारी किए जा रहे हैं—

1. मद जिनमें पुनर्विनियोजन किया जा सकता है—

1. एक ही मांग संख्या के अंतर्गत राजस्व व्यय से राजस्व व्यय मद में तथा पूंजीगत परिव्यय मद से पूंजीगत परिव्यय में ही पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा।
2. आदिवासी उप योजना (मांग संख्या 41, 42, 75, 82 एवं 83) व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (मांग संख्या 64, 68, 76, 84 एवं 85) के अंतर्गत पुनर्विनियोजन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के परामर्श से ही किया जा सकेगा।

2. मद जिनमें पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित है—

1. पूंजी अनुभाग से राजस्व अनुभाग में राजस्व अनुभाग से पूंजी अनुभाग में, मतदेय से भारित, भारित से मतदेय तथा एक मांग संख्या से दूसरी मांग संख्या के अंतर्गत पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।
2. केन्द्र क्षेत्रीय एवं शतप्रतिशत बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं से कोई भी राशि अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन नहीं की जा सकेगी।

3. कार्यालय व्यय के स्वीकृत बजट में किये गये प्रावधान बढ़ाने के लिए किसी भी परिस्थिति में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।
4. ऐसे व्यय जो राजस्व संग्रहण से संबंधित हैं, उनमें बचत होने पर किसी अन्य व्यय जो राजस्व प्राप्ति से संबंधित नहीं है, में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।
5. ऐसी कतिपय नई सेवाओं पर जो बजट में विचारित न हों, होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

3. वे मद जिनमें वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही पुनर्विनियोजन किया जा सकता है—

1. एक मुख्य शीर्ष से दूसरे मुख्य शीर्ष में किसी भी पुनर्विनियोजन की स्वीकृति वित्त विभाग की विशेष सहमति प्राप्त किये बिना नहीं दी जायेगी।
2. वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यय, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में कोई और लागत लगने की संभावना हो, को पूरा करने के लिये कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जायेगा।
3. सिंचाई/लोक निर्माण/लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित अनुदानों में शीर्ष "उचन्त (Suspense)" के अधीन व्यय के लिये आबंटित निधियाँ वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य व्यय को पूरा करने के लिये पुनर्विनियोजित नहीं की जायेगी।
4. वेतन तथा मजदूरी की बचतों से किसी अन्य मदों में पुनर्विनियोजन वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।
5. वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना अन्य मद से कार्यालय व्यय के मद में पुनर्विनियोजन नहीं किया जायेगा।
6. वित्त विभाग को भेजे गये पुनर्विनियोजन प्रस्ताव के स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही व्यय प्राधिकृत किया जाए।
7. जहां तक इन नियमों द्वारा शक्तियाँ नहीं सौंपी गई हैं, वहाँ निधियों के पुनर्विनियोजन के लिये प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने चाहिए और उनके साथ अंतरण की आवश्यकता संबंधी एक स्पष्टीकरण और विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अधीन जिससे निधियों का पुनर्विनियोजन प्रस्तावित हो पूर्वानुमानित बचतों के कारण दिये जाने चाहिए।

4. वे मद जिनमें शर्त या सीमा के अधीन पुनर्विनियोजन किया जा सकता है—

1. यदि किसी प्रकरण में अलग से बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है तथा स्वीकृत बजट प्रावधानों के अंतर्गत व्यय करने की शर्त के साथ वित्तीय स्वीकृति दी जाती है तो स्वीकृति ज्ञापन जारी करने के पूर्व पुनर्विनियोजन द्वारा उक्त मद में धन राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् ही स्वीकृति जारी की जाए।

2. केन्द्र प्रवर्तित एवं आंशिक रूप से बाह्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये प्रावधानित राशि के लिये सहायता प्राप्त न हो सकने की स्थिति में केवल उन योजनाओं में उपलब्ध राज्यांश की सीमा तक ही अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा।
 3. किसी अन्य मद से वेतन/मजदूरी मदों में पुनर्विनियोजन केवल उतनी सीमा तक ही किया जा सकेगा जितनी राशि का पूर्वानुमान बजट बनाते समय अतिरिक्त महंगाई भत्ता/तदर्थ वृद्धि इत्यादि के कारण नहीं लगाया जा सका था।
 4. राज्यपाल के भत्ते तथा विशेषाधिकार आदेश की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उप शीर्ष से दूसरे उप शीर्ष में पुनर्विनियोजन उस आदेश के पैरा 7 के उपबंध द्वारा शासित होते हैं इसी प्रकार राज्यपाल के शासकीय आवासगृह के अनुरक्षण, सुधार, पुनर्नवीकरण या पुनर्स्थापन की राशि के उपशीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन ऊपर उल्लिखित आदेशों के पैरा 7 के अधीन विशेष आदेश द्वारा शासित होंगे।
5. पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव के संबंध में –
1. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1, खण्ड- दो बजटीय विषय में उल्लेखित पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के लिए निर्धारित सीमा, सक्षम प्राधिकारी एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
 2. स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा रु. 1,000 से अधिक की राशियों के पुनर्विनियोजन के संबंध में आधिक्य और साथ ही बचतों के कारण प्रधान महालेखाकार को संसूचित किया जाना चाहिए।
 3. सभी पुनर्विनियोजन के स्वीकृति आदेश की एक प्रति तत्काल प्रशासकीय विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए तथा एक प्रति समर्पण प्रस्ताव के साथ भी संलग्न की जानी चाहिए ताकि महालेखाकार द्वारा तैयार किये जाने वाले विनियोग लेखों में कोई त्रुटि होने से बचा जा सके।
 4. पुनर्विनियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा आदेश में निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा :—
 "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और उनमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।"
 5. पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।

6. समर्पण के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में –

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर बजट पुस्तिका में विभाग हेतु स्वीकृत मुख्य शीर्ष एवं अन्य शीर्ष के क्रम में किये गये बजट प्रावधान, उसके विरुद्ध किया गया व्यय, आधिक्य/ बचत की राशि एवं आधिक्य एवं बचत के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रपत्र में समर्पण प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।
2. समर्पण के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
3. समर्पण के प्रस्ताव प्रति वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत कर ऐसे प्रेषित किया जावे कि वह 30 अप्रैल के पूर्व महालेखाकार कार्यालय में रिपोर्ट अनुभाग को प्राप्त हो जाए।
4. प्रस्तावों में मांग संख्या, मुख्यशीर्ष, उप मुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष, उपशीर्ष (योजना) उद्देश्य शीर्ष तथा विस्तृत शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
5. विभाग द्वारा स्वीकृत समर्पण के अग्रेषण पत्र (Covering Letter) में समर्पण की राशि तथा मांग संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
6. समर्पण की स्वीकृतियों में आधिक्य/बचत के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
7. समर्पण की स्वीकृतियां 31 मार्च के पश्चात् जारी नहीं किये जाएं। विलंब से जारी किये गये या विलंब से प्राप्त स्वीकृतियों को लेखे में समाहित नहीं किया जाएगा।
8. समर्पण प्रस्ताव के साथ सभी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों की एक प्रति संलग्न कर महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए।
9. समर्पण हेतु अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को शामिल नहीं किया जाए।

विषयांतर्गत उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर;
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर;
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर;
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर;
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर;
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़;
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
 8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
 9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
 10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर;
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली;
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर;
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर;
 14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
 15. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर;
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़;
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़;
 19. समस्त प्राचार्य, संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान/लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़;
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
21. संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट <https://finance.cg.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

अनुलग्नक -1 (पुनर्विनियोजन हेतु प्रारूप)

छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग का नाम.....
मांग संख्या एवं नाम

बजट/दत्तमत/भारित									(राशि रू. हजार/लाख में)							
बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान			दिसम्बर 2024 तक व्यय	जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक संभावित व्यय	पुनर्वि. हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	आधिक्य के कारण	बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान				दिसम्बर 2024 तक व्यय	जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक संभावित व्यय	पुनर्वि. हेतु उपलब्ध राशि	बचत के कारण
	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान (I+II+III+IV)	कुल बजट प्रावधान						मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान (I+II+III+IV)	अन्य मद से प्राप्त किया गया पुनर्वि.	कुल बजट प्रावधान (10)+(11)+(12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मुख्य शीर्ष								मुख्य शीर्ष								
उप मुख्य शीर्ष								उप मुख्य शीर्ष								
लघु शीर्ष								लघु शीर्ष								
सेगमेंट कोड								सेगमेंट कोड								
योजना शीर्ष								योजना शीर्ष								
उद्देश्य शीर्ष								उद्देश्य शीर्ष								
विस्तृत शीर्ष								विस्तृत शीर्ष								
योग- योजना शीर्ष								योग- योजना शीर्ष								

हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुलग्नक -2 (समर्पण हेतु प्रारूप)

छत्तीसगढ़ शासन एवं विभाग का नाम.....

मांग संख्या एवं नाम

बजट/दत्तमत/भारित

(राशि रू. हजार/लाख में)

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान					वर्ष के दौरान अन्य मद से प्राप्त पुनर्विनियोजन (+)	कुल योग (6)+(7)	वर्ष के दौरान अन्य मद में किया गया पुनर्विनियोजन (-)	कुल योग (8)-(9)	वर्ष 2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल योग (10)-(11)	बचत राशि	समर्पण हेतु राशि	समर्पण के कारण एवं अभ्युक्तियों
	मूल बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक	कुल बजट प्रावधान									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मुख्य शीर्ष										मुख्य शीर्ष				
उप मुख्य शीर्ष										उप मुख्य शीर्ष				
लघु शीर्ष										लघु शीर्ष				
सेगमेंट कोड										सेगमेंट कोड				
योजना शीर्ष										योजना शीर्ष				
उद्देश्य शीर्ष										उद्देश्य शीर्ष				
विस्तृत शीर्ष										विस्तृत शीर्ष				
योग- योजना शीर्ष										योग- योजना शीर्ष				

हस्ताक्षर एवं पदनाम